रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 193] नई दिल्ली, बुधवार, जून 9, 1976/ज्येष्ठ 19, 1898
No. 193] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 1976/JYAISTHA 19, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 9th June 1976

G.S.R. 393(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. These rules may be called the Central Excise (Sixteenth Amendment) Rules, 1976.

2. In the Central Excise Rules, 1944 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 173F, the following rule shall be inserted, namely—

"173 FF. *Assessee to remove goods from the factory or warehouse during the hours fixed by Collector.* ..

(1) All goods, whether for home consumption or otherwise, shall be removed from the factory or warehouse, as the case may be, during such hours not exceeding—

(a) twelve hours a day in a case where such goods are removed—

(i) from the factory which works one shift per day, or

(ii) from the warehouse, and

(b) sixteen hours in a case where such goods are removed from the factory which works more than one shift per day,

as the Collector may, by general or special order, fix.

Provided that where the assessee desires to remove such goods at any time beyond the hours so fixed, he shall, at least three hours before such removal, inform in writing the proper officer about the time at which he intends to remove such goods.

(2) Where the Collector, having regard to the nature of the goods, the mode of removal thereof and other relevant factors, is satisfied that it is necessary or expedient so to do, he may, by order and subject to such conditions as may be specified therein, permit an assessee to remove the goods during any hours of the day".

3. In rule 173G of the said rules, in sub-rule(2), after the words "but subject to the other provisions of that rule", the words, figures and letters "and the provisions of rule 173FF" shall be inserted.

[No. 186/76-CE]

L. C. MITTAL, Under Secy.

राजस्व और बैंककारी विभाग

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 9 जून, 1976

सा० का० नि० 393 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पादशुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियम, 1944 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पादशुल्क (सोलहवां संशोधन) नियम, 1976 है।

2. केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियम, 1944 में (जिसे इस में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 173 च के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"173 चच. **कलक्टर द्वारा नियत ईंटों के दौरान निर्धारिती द्वारा कारखाने या भाण्डागार से माल का हटाया जाना।**

(1) सभी माल चाहे वे गृह उपयोग के लिए हों या अन्यथा हों, यथास्थिति कारखाने या भाण्डागार से—

(क) ऐसे मामले में, जहां ऐसा माल,—

(i) प्रतिदिन एक पारी काम करने वाले कारखाने से, या

(ii) भाण्डागार से,

हटाया जाता है, प्रतिदिन बारह घंटे से अनधिक, और

(ख) ऐसे मामले में, जहां ऐसा माल प्रतिदिन एक से अधिक पारी काम करने वाले कारखाने से, हटाया जाता है, प्रतिदिन सोलह घंटे से अनधिक उतने घण्टों के दौरान हटाया जाएगा, जिन्हें कलक्टर, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, नियत करे :

परन्तु जहां निधारिती इस प्रकार नियत ईंटों के अतिरिक्त किसी समय ऐसा माल हटाना चाहता है, वहां वह समुचित अधिकारी को माल के ऐसे हटाए जाने से कम से कम तीन घण्टे पूर्व उस समय की सूचना देगा जब वह माल हटाना चाहता है।

(2) जहां, माल की प्रकृति, उसके हटाने के ढंग और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, कलक्टर का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां, वह, आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उस में विनिर्दिष्ट की जाएं, दिन के किन्हीं घण्टों के दौरान, माल को हटाने के लिए निर्धारिती को अनुज्ञा दे सकता है।"

3. उक्त नियमों के नियम 173छ में, उपनियम (2) में "किन्तु उस नियम के अन्य उपबन्धों" शब्दों के पश्चात्, "और नियम 173 चच के उपबंधों" शब्द, अंक और अक्षर अन्तः-स्थापित किए जाएंगे।

[सं० 186/76-के०उ० शु०]

लक्ष्मी चन्द मित्तल, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976